[2021] 2 उम. नि. प. 413

सरताज सिंह

बनाम

हरियाणा राज्य और एक अन्य

[2021 की दांडिक अपील सं. 298-299]

15 मार्च, 2021

न्यायमूर्ति (डा.) धनंजय यसवंत चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 319 – अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति – अपीलार्थी पर कई व्यक्तियों द्वारा आक्रमण करके उसे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया जाना – अभियोजन पक्ष द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित अभियुक्तों में से कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल न किया जाना – क्षतिग्रस्त-प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा विचारण के दौरान मुख्य परीक्षा में और प्रतिपरीक्षा में भी प्रस्थापित अभियुक्तों (प्राइवेट प्रत्यर्थियों) को नामित किया जाना – विचारण न्यायालय द्वारा क्षतिग्रस्त-प्रत्यक्षदर्शी साक्षी (अपीलार्थी) के साक्ष्य और अभिलेख पर अन्य साक्ष्य के आधार पर प्रस्थापित व्यक्तियों को अभियुक्तों के रूप में समन किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा प्राइवेट प्रत्यर्थियों द्वारा फाइल पुनरीक्षण आवेदन मंजूर किया जाना – संधार्यता – जहां क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की मुख्य परीक्षा और अभिलेख पर अन्य साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय का यह समाधान हो गया हो कि प्रस्थापित अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है, तो न्यायालय धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन अभियुक्तों को विचारण का सामना करने के लिए समन कर सकता है और न्यायालय को साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने के प्रक्रम तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है तथा विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध पुनरीक्षण के प्रक्रम पर उच्च न्यायालय द्वारा क्षतिग्रस्त-प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के अभिसाक्ष्य का मूल्यांकन करना अपेक्षित नहीं है अपितु केवल इस बात पर विचार किया जाना अपेक्षित है कि साक्ष्य के

आधार पर प्रस्थापित अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है या नहीं, न कि उस साक्ष्य के आधार पर उनकी दोषसिद्धि होने की संभावना है या नहीं, अत: उच्च न्यायालय के ऐसे निर्णय को विधि और तथ्यों के आधार पर संधार्य न होने के कारण अपास्त करना उचित होगा ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी-मूल इत्तिलाकर्ता पर इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा तारीख 27 जुलाई, 2016 को आक्रमण किया गया था और अपीलार्थी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था । अपीलार्थी के कथन के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 149, 341, 323, 307 और 506 के अधीन अपराधों के लिए अन्य अभियुक्त के साथ-साथ इस अपील में प्राइवेट प्रत्यर्थियों को अभियुक्तों के रूप में नामित करते हुए एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । उसके पश्चात्, पुलिस उप अधीक्षक ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह पाया गया कि विवाद में केवल चार व्यक्ति अंतर्ग्रस्त थे और इस अपील में के प्रत्यर्थी, जो नामित किए गए थे, अंतर्ग्रस्त नहीं पाए गए थे । उसके पश्चात् अन्वेषक अधिकारी ने अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया किंतु इस अपील में के प्रत्यर्थियों के विरुद्ध नहीं । उसके पश्चात्, विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थी, जो क्षतिग्रस्त साक्षी था, की अभि. सा. 1 के रूप में परीक्षा की गई थी । उसने अपने साक्ष्य में विनिर्दिष्ट रूप से इस अपील में के प्रत्यर्थियों को नामित किया और प्रतिपरीक्षा में भी अडिग रहा । अन्य साक्षियों की भी परीक्षा की गई थी । तत्पश्चात्, अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष अभिलिखित किए गए साक्ष्य के आधार पर अतिरिक्त अभियुक्तों-इस अपील में के प्रत्यर्थियों को समन करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन एक आवेदन फाइल किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी और अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों दोनों के कथनों और अभिलेख पर की सामग्री पर विचार करने के पश्चात् तारीख 21 अप्रैल, 2018 के आदेश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन को मंजूर किया । उसके पश्चात् इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों द्वारा विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें समन करते हुए पारित किए गए

आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष दो अलग-अलग पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए । उच्च न्यायालय द्वारा प्राइवेट प्रत्यर्थियों द्वारा फाइल किए गए पुनरीक्षण आवेदनों को आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा मंजूर किया गया और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अतिरिक्त अभियुक्तों-प्राइवेट प्रत्यर्थियों को समन करने के लिए पारित किए गए आदेश को अभिखंडित और अपास्त कर दिया । मूल शिकायतकर्ता-क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलों को मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – इस न्यायालय द्वारा विभिन्न विनिश्चयों में अधिकथित की गई विधि पर विचार करते हुए यह प्रकट होता है कि (i) न्यायालय संबंधित साक्षी की मुख्य परीक्षा में किए गए कथन के आधार पर भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है और न्यायालय को ऐसे साक्षी की प्रतिपरीक्षा तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है तथा न्यायालय को उन अभियुक्तों के विरुद्ध, जिन्हें समन किया जाना प्रस्थापित है, प्रतिपरीक्षा द्वारा परख किए गए साक्ष्य तक प्रतीक्षा किए जाने की आवश्यकता नहीं है; और (ii) प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति को जो यद्यपि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित तो है किंतु आरोप-पत्रित नहीं किया गया है या ऐसा व्यक्ति जिसे उन्मोचित कर दिया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन समन किया जा सकता है, बशर्ते साक्ष्य से (यह संबंधित साक्षी की मुख्य परीक्षा में किए गए कथन के आधार पर एकत्रित किए गए साक्ष्य के रूप में हो सकता है), यह प्रतीत होता हो कि ऐसे व्यक्ति का पहले ही विचारण का सामना कर रहे अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है । प्रस्तुत अभियुक्तों के मामले को इस न्यायालय द्वारा अधिकथित की गई विधि को लागू करते हुए, इस न्यायालय की यह राय है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी-क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य के आधार पर इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों को अभियुक्त के रूप में विचारण का सामना करने के लिए समन करके न्यायोचित किया था । यदि साक्षी की मुख्य परीक्षा के आधार पर न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रस्थापित

अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है, तो न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में सूचीबद्ध कर सकता है और उसे विचारण का सामना करने के लिए समन कर सकता है । इस प्रक्रम पर, यह उल्लेख किया जाना अपेक्षित है कि आरंभ से ही इस अपील में अपीलार्थी-क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, जो प्रथम इत्तिलाकर्ता है, ने इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों के नामों का प्रकटीकरण किया था और उन्हें विनिर्दिष्ट रूप से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित किया था । पुलिस उप-अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट का साक्ष्यिक महत्व क्या होगा, यह एक अन्य प्रश्न है । ऐसा नहीं है कि अन्वेषक अधिकारी ने प्राइवेट प्रत्यर्थियों के विरुद्ध मामला नहीं पाया था और इसलिए उन्हें आरोप-पत्रित नहीं किया गया था । जो भी स्थिति हो, अपीलार्थी-क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने मुख्य परीक्षा में प्राइवेट प्रत्यर्थियों के नामों को प्रकट किया था । अत: विद्वान् विचारण न्यायालय ने इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों को विचारण का सामना करने के लिए उनके विरुद्ध समन जारी करने का निदेश देकर न्यायोचित किया था । अब, जहां तक उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश का संबंध है, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारण विधि की दृष्टि से और तथ्यों के आधार पर असंधार्य हैं । इस प्रक्रम पर, उच्च न्यायालय को क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के अभिसाक्ष्य का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए था और इस प्रक्रम पर जिस बात पर विचार किया जाना अपेक्षित था वह यह था कि क्या कोई प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है, न कि क्या ऐसी सामग्री के आधार पर प्रस्थापित अभियुक्तों को दोषसिद्ध किए जाने की संभावना है या नहीं और/या क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में जो कुछ कहा गया है वह बढ़ा-चढ़ा कर कहा गया है या नहीं । पूर्वोक्त पहलुओं पर विचारण के दौरान और अभिलेख पर के संपूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय विचार किया जाना चाहिए । अत: उच्च न्यायालय ने इसमें ऊपर उल्लिखित कारणों के आधार पर विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्तों को विचारण का सामना करने के लिए

समन करते हुए पारित किए गए आदेश को अभिखंडित और अपास्त करके तात्विक रूप से गलती की थी । (पैरा 6.2, 7 और 8.1)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2019]	(2019) 6 एस. सी. सी. 368 : **राजेश** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	6
[2019]	(2019) 6 एस. सी. सी. 638 : **सुखपाल सिंह खैरा** बनाम **पंजाब राज्य** ;	3
[2017]	(2017) 16 एस. सी. सी. 226 : **एस. मोहम्मद इस्पाहनी** बनाम **योगेन्द्र चंडक ;**	6
[2014]	(2014) 3 एस. सी. सी. 92 : **हरदीप सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** ।	3.6, 6.1.1, 6.2, 6.4

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2021 की दांडिक अपील सं. 298-299.

2018 के दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 3238 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के तारीख 28 अगस्त, 2020 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

हाजिर होने वाले पक्षकारों की ओर से	सर्वश्री तुषार मेहता, महा सालिसिटर, अशोक शर्मा, महाधिवक्ता, अनिल कौशिक, अपर महाधिवक्ता, आर. बसंत, ज्येष्ठ अधिवक्ता (ए. डी. एन. राव, न्यायमित्र)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एम. आर. शाह ने दिया ।

न्या. शाह – मूल इत्तिलाकर्ता ने 2018 के दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 3228 और दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 55631 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा तारीख 28 अगस्त, 2020 को पारित किए गए उस आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और

असंतुष्ट होकर ये अपीलें फाइल की हैं, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त पुनरीक्षण आवेदन को मंजूर किया था और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों को समन करने के लिए तारीख 21 अप्रैल, 2018 को पारित किए गए आदेश को अभिखंडित और अपास्त कर दिया था ।

2. इस अपील में अपीलार्थी-मूल इत्तिलाकर्ता के पक्षकथन के अनुसार, इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा तारीख 27 जुलाई, 2016 को अपीलार्थी पर आक्रमण किया गया था । अपीलार्थी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था । अपीलार्थी द्वारा एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी जिसमें उसने यह कहा था कि मंजीत सिंह के अतिरिक्त नरवैर सिंह और अन्य व्यक्तियों अर्थात् पलविन्दर सिंह पुत्र रण सिंह, सत्कार सिंह पुत्र रजवंत सिंह, रजवंत सिंह पुत्र गुरचरण सिंह और सुखदीप सिंह पुत्र सतनाम सिंह ने उसके शरीर पर क्षतियां कारित की थीं । यह कहा गया था कि जब वह अपनी कार-महेंद्रा एक्सयूवी-500 में व्यक्तिगत कार्य के लिए जा रहा था और एक फोन काल का उत्तर देने के लिए बाईं तरफ अपनी कार रोकी, तब मंजीत सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह, जो असंध की तरफ से अपनी कार में आ रहा था और एक महिला उसकी बगल में बैठी थी, ने अपनी कार उसके आगे रोकी और अपनी खिड़की का शीशा नीचे करने के पश्चात् उसे अपनी सरपंच की हैसियत में उसकी जौ की फसल की जुताई करने की धमकी दी और जब वह अपना काम समाप्त करने के पश्चात् घर वापस आ रहा था तो उसने पाया कि सड़क पर एक कार तिरछी करके खड़ी की गई है । यह वही कार थी जिसमें मंजीत सिंह यात्रा कर रहा था और जब उसने ड्राइवर को देखने के लिए अपना सिर बाहर निकाला तो पलविन्दर सिंह पुत्र रण सिंह, सत्कार सिंह पुत्र रजवंत सिंह, जो लाठियों से लैस थे और सड़क की दांई तरफ छिपे हुए थे, आए और उस पर आक्रमण कर दिया तथा उसके सिर पर लाठियों से प्रहार किए । उसके पश्चात्, 10-12 व्यक्ति सड़क की दोनों तरफ से कार की ओर दौड़ते हुए आए । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि बंडराला निवासी मंजीत सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह, अमरजीत सिंह पुत्र रण सिंह, रजवंत सिंह पुत्र गुरचरण सिंह, नरवैर सिंह पुत्र तरलोक सिंह,

सुखदेव सिंह पुत्र सतनाम सिंह अपने हाथों में लाठी और गंडासी लिए हुए थे । रजवंत सिंह उसकी दिशा की ओर से दौड़ते हुए आया और कार का इंजन बंद कर दिया तथा कार का ड्राइवर की तरफ के दरवाजे का ताला भी खोल दिया । मंजीत सिंह ने बाहर से दरवाजा खोल दिया । मंजीत सिंह और रजवंत सिंह दोनों ने उसे कार से बाहर खींच लिया और रजवंत सिंह ने एक ललकारा दिया कि "आज उसे मार देने का अवसर है" । यह कहने पर अमरजीत सिंह ने, जो गंडासी से लैस था, उसके सिर पर एक प्रहार किया और मंजीत सिंह ने, जो गंडासी से लैस था, उसके बांए कान पर प्रहार किया । फिर रजवंत सिंह ने, जो गंडासी से लैस था, इसके आगे वाले भाग से प्रहार किया । उसके पश्चात्, इन सभी व्यक्तियों ने उस पर अनेक प्रहार किए और उसे बेहोशी महसूस होने लगी तथा अपने घुटनों पर नीचे गिर गया । उसने सोचा कि वे आज उसे मार ही देंगे और उसे अपनी आंखों के सामने अपनी मौत दिखाई दे रही थी । इसके पश्चात् उसने अपनी कमर के चारों ओर बंधे खोल से अपनी रिवाल्वर निकाली और उससे गोली चला दी और उसे नहीं पता कि गोली किसे और कहां लगी । उसके द्वारा गोली चलाने पर वे व्यक्ति भागने लगे और कुछ व्यक्तियों ने भागते हुए उसके दांए कंधे पर प्रहार किए, जिसकी वजह से उसकी रिवाल्वर नीचे गिर गई और वे हमलावर भाग गए तथा वह भी स्वयं को बचाने के लिए आदर्श स्कूल की ओर वापस आया । उसने आदर्श स्कूल के निकट स्थित छिन्ना के डेरे में प्रवेश किया, जहां भूपिन्दर सिंह और उसके पिता मौजूद थे जिनको उसने सूचित किया कि कुछ व्यक्ति उसे मारना चाहते थे और कृपया उसे पुलिस थाने ले चलो । उसके पश्चात्, भूपिन्दर सिंह **उर्फ** पिंडा अपनी मोटरसाइकिल पर उसे असंध लाया और कुछ समय के पश्चात् वह बेहोश हो गया, जहां डाक्टर ने उसे प्राथमिक चिकित्सा दी और क्षतियों की गंभीरता को देखकर उसे सामान्य अस्पताल, करनाल रेफर कर दिया । इसी बीच, उसके परिवार के सदस्य भी असंध के अस्पताल पहुंच गए और कार में सामान्य अस्पताल करनाल ले गए तथा क्षतियों की संख्या पर विचार करने के पश्चात् डाक्टर ने उसे पीजीआई, चंडीगढ़ रेफर कर दिया । अपीलार्थी के कथन के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 149, 341, 323, 307 और 506 के अधीन अपराधों के लिए 2016 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 477 दर्ज की गई । उसके पश्चात्,

पुलिस उप-अधीक्षक, असंध ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह पाया गया कि विवाद में केवल चार व्यक्ति अंतर्ग्रस्त थे और इस अपील में के प्रत्यर्थी, जो नामित किए गए थे, अंतर्ग्रस्त नहीं पाए गए थे । उसके पश्चात् अन्वेषक अधिकारी ने अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया किंतु इस अपील में के प्रत्यर्थियों के विरुद्ध नहीं । उसके पश्चात्, विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थी, जो क्षतिग्रस्त साक्षी था, की अभि. सा. 1 के रूप में परीक्षा की गई । उसने अपने साक्ष्य में विनिर्दिष्ट रूप से इस अपील में के प्रत्यर्थियों को नामित किया और प्रतिपरीक्षा में भी अडिग रहा । डा. महिन्द्र, चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल की भी अभि. सा. 2 के रूप में परीक्षा की गई थी । उसके पश्चात्, भूपिन्दर सिंह, जो क्षतिग्रस्त अपीलार्थी को अस्पताल लेकर गया था, की भी अभि. सा. 7 के रूप में परीक्षा की गई थी । तत्पश्चात्, अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष अभिलिखित किए गए साक्ष्य के आधार पर अतिरिक्त अभियुक्तों-इस अपील में के प्रत्यर्थियों को समन करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन एक आवेदन फाइल किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी और अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों दोनों के कथनों और अभिलेख पर की सामग्री पर विचार करने के पश्चात् तारीख 21 अप्रैल, 2018 के आदेश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन को मंजूर किया । उसके पश्चात् इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों ने विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें समन करते हुए पारित किए गए आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष दो अलग-अलग पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए । यह प्रतीत होता है कि पूर्वोक्त पुनरीक्षण आवेदनों के लंबित रहने के दौरान, चूंकि प्राइवेट प्रत्यर्थियों को समन करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश पर रोक नहीं लगाई गई थी और इसलिए विद्वान् विचारण न्यायालय विचारण के लिए अग्रसर हुआ तथा अतिरिक्त अभियुक्तों-प्राइवेट प्रत्यर्थियों को समन करने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा 18 साक्षियों की परीक्षा की गई । उच्च न्यायालय ने प्राइवेट प्रत्यर्थियों द्वारा फाइल किए गए पुनरीक्षण आवेदनों को आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा मंजूर किया और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अतिरिक्त अभियुक्तों-प्राइवेट प्रत्यर्थियों को समन करने के लिए पारित किए गए आदेश को

अभिखंडित और अपास्त कर दिया । इसलिए ये अपीलें फाइल की गई हैं ।

3. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल, श्री आर. बसंत ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि जब विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर के मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्य पर विचार करते हुए इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों को विचारण का सामना करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन को मंजूर किया था, तो उच्च न्यायालय ने प्राइवेट प्रत्यर्थियों को समन करने के लिए आदेश को अभिखंडित और अपास्त करके न्यायोचित नहीं किया है ।

3.1 यह भी दलील दी गई कि प्राइवेट प्रत्यर्थियों को समन करने के लिए विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्तियों के प्रयोग में था, को अभिखंडित और अपास्त करते समय उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 की व्याप्ति और परिधि के परे कार्य किया था ।

3.2 यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय इस बात का मूल्यांकन करने में असफल रहा है कि वास्तव में प्राइवेट प्रत्यर्थियों को विनिर्दिष्ट रूप से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित किया गया था और उसके पश्चात् अपीलार्थी-क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य में भी इन नामों को उजागर किया गया था । अतः यह दलील दी गई कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राइवेट प्रत्यर्थियों को समन करके न्यायोचित किया था ।

3.3 अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह भी दलील दी गई कि यहां तक कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश को उलटते हुए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारण विधि में और तथ्यों के आधार पर भी संधार्य नहीं हैं ।

3.4 यह दलील दी गई कि प्राइवेट प्रत्यर्थियों को समन करने के लिए विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश को उच्च

न्यायालय ने यह मत व्यक्त करते हुए कि इस अपील में अपीलार्थी के कथन के सिवाय कोई साक्ष्य नहीं है, अभिखंडित और अपास्त करके गलती की है । यह दलील दी गई कि तथापि, अभियुक्त को किसी एकल साक्षी के साक्ष्य के आधार पर भी दोषसिद्ध किया जा सकता है और प्रस्तुत मामले में तो अपीलार्थी एक क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । यह दलील दी गई कि अपीलार्थी की प्रतिपरीक्षा की गई थी । अत: यह दलील दी गई कि केवल इस कारण कि एक साक्षी था और/या केवल एक व्यक्ति का कथन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त अभियुक्तों को समन न करने का कोई आधार नहीं है । यह भी दलील दी गई कि इस प्रक्रम पर उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के अभिसाक्ष्य/साक्ष्य का गुणागुण के आधार पर मूल्यांकन करके न्यायोचित नहीं किया था । यह दलील दी गई कि जो कार्य विचारण के दौरान किया जाना अपेक्षित है, उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करने के इस प्रक्रम पर किया गया हैं । यह भी दलील दी गई कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन पर विचार करने के प्रक्रम पर पूर्वोक्त कार्यवाही पूर्णतया अननुज्ञेय है ।

3.5 यह भी दलील दी गई कि उस समय तक जब उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित किया था, चूंकि पुनरीक्षण आवेदनों पर कोई रोकादेश नहीं था, इसलिए विद्वान् विचारण न्यायालय विचारण करने के लिए अग्रसर हुआ था और 18 साक्षियों की परीक्षा की गई थी तथा विचारण समाप्ति के नजदीक था । अत: यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय ने विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राइवेट प्रत्यर्थियों को समन करने के लिए पारित किए गए एक भली-भांति सकारण आदेश को अभिखंडित और अपास्त करके न्यायोचित नहीं किया है ।

3.6 अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता, श्री आर. बसंत ने **हरदीप सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले

---

[1] (2014) 3 एस. सी. सी. 92.

मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय और **सुखपाल सिंह खैरा** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के पश्चात्वर्ती विनिश्चय का अपनी इस दलील के समर्थन में अवलंब लिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन पर विचार करने के प्रक्रम पर उच्च न्यायालय ने गुणागुण पर विचार करके और/या गुणागुण के आधार पर साक्ष्य का मूल्यांकन करके न्यायोचित नहीं किया था, जिस बात पर विचारण के प्रक्रम पर विचार किया जाना चाहिए । यह दलील दी गई कि जैसा कि **हरदीप सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 में 'साक्ष्य' शब्द को व्यापक रूप में समझा जाना चाहिए न कि शाब्दिक रूप में, क्योंकि साक्ष्य विचारण के दौरान लाया जाता है । यह दलील दी गई कि यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि मुख्य परीक्षा में किए गए कथन से ही 'साक्ष्य' का गठन हो जाता है और विचारण के आरंभ होने के पश्चात् न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्थापित व्यक्ति को समन करने के लिए उस साक्ष्य की प्रतिपरीक्षा द्वारा परख किए जाने तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है । यह दलील दी गई कि धारा 319 का अवलंब लेने के लिए समाधान की मात्रा एक प्रथमदृष्ट्या मामले से अधिक नहीं होनी चाहिए जितनी कि आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर प्रयोग की जाती है, किंतु समाधान की कमी इस सीमा तक नहीं कि यदि साक्ष्य का खंडन नहीं किया जाता है तो अभियुक्त के रूप में जोड़े जाने के लिए ईप्सित व्यक्ति की दोषसिद्धि हो सकती है ।

3.7 उपरोक्त दलीलें देने के पश्चात् और इस न्यायालय के उपरोक्त विनिश्चयों का अवलंब लेते हुए यह अनुरोध किया गया कि प्रस्तुत अपीलों को मंजूर किया जाए ।

4. श्री अनिल कौशिक, विद्वान् अपर महाधिवक्ता, हरियाणा ने इन अपीलों का समर्थन किया और यह दलील दी कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों को समन करने

---

[1] (2019) 6 एस. सी. सी. 638.

के लिए पारित किए गए एक भली-भांति सकारण आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा अभिखंडित और अपास्त करते हुए दिए गए कारण विधि में और यहां तक कि तथ्यों के आधार पर भी संधार्य नहीं हैं ।

5. इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने वर्तमान अपीलों का जोरदार रूप से विरोध किया ।

5.1 यह दलील दी गई कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति एक वैवेकिक और असाधारण शक्ति है तथा इसका प्रयोग यदा-कदा और केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां मामले की परिस्थितियों में ऐसा करना आवश्यक हो । यह दलील दी गई कि इस शक्ति का प्रयोग केवल इसलिए नहीं किया जाना चाहिए चूंकि विचारण न्यायालय की यह राय है कि उस अपराध को कारित करने के लिए कुछ अन्य व्यक्ति भी दोषी हो सकते हैं । यह दलील दी गई कि जहां न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रबल और तर्कपूर्ण साक्ष्य प्रकट होता है, वहां ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए न कि नैमितिक और लापरवाही रीति में ।

5.2 यह दलील दी गई कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करने का निदेश देते हुए आदेश केवल इस कारण पारित नहीं किया जा सकता है कि प्रथम इत्तिलाकर्ता या साक्षियों में से कोई अन्य व्यक्तियों को फंसाना चाहता है । यह दलील दी गई कि अवश्य पर्याप्त और तर्कपूर्ण कारण होने चाहिएं जिन्हें विचारण न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 319 के अधीन उपबंधों के संघटकों का समाधान करते हुए दिया जाना अपेक्षित है । यह दलील दी गई कि प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी ने मुख्य परीक्षा में अपनी शिकायत की अंतर्वस्तुओं को दोहराया था और अभिलेख पर कोई नया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था । यह दलील दी गई कि उक्त कथन से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन का न्यायनिर्णयन करने के लिए कसौटी का समाधान नहीं होता है अर्थात् अभिलेख पर का साक्ष्य ऐसा हो जो उस साक्ष्य से अधिक हो जो आरोपों के विरचित करने के प्रक्रम पर आवश्यक होता है किंतु उससे कम, यदि उसका खंडन नहीं किया जाता है तो उसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि हो जाएगी ।

5.3 यह भी दलील दी गई कि अपीलार्थी ने मुख्य परीक्षा में उन बातों को दोहराया था जो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में कही गई थी । यह दलील दी गई कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथनों का पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अन्वेषण किया गया था/जांच की गई थी और उसकी रिपोर्ट के अनुसार इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं पाया गया था । अत: यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय ने विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश को अभिखंडित और अपास्त करके न्यायोचित किया है ।

5.4 यह दलील दी गई कि इस अपील में अपीलार्थी अमरजीत सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने और मंजीत सिंह को क्षतियां पहुंचाने के संबंध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 477 में अभियुक्त है । यह दलील दी गई कि उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी सरताज सिंह के हाथों अपनी लाइसेंसशुदा रिवाल्वर का प्रयोग करने से अमरजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी और मंजीत सिंह को क्षतियां पहुंची थीं । यह दलील दी गई कि अपीलार्थी और उसके सह-अपराधियों के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 477 रजिस्ट्रीकृत होने के पश्चात् ही बाद में अपीलार्थी के कथन के आधार पर पुलिस द्वारा उसी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में एक प्रति-मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया था, जिसमें उसने आत्मरक्षा में गोलियां चलाने की कहानी गढ़ी थी । यह दलील दी गई कि अपीलार्थी ने यह कहा था कि पलविन्दर सिंह और सत्कार सिंह ने सिर पर लाठी से प्रहार किए थे, जबकि मंजीत सिंह, अमरजीत सिंह, रजवंत सिंह, नरवीर सिंह और सुखदेव सिंह गंडासी लिए हुए थे और उसके सिर तथा चेहरे पर प्रहार किए थे, जो बात पूरी तरह संभव प्रतीत नहीं होती है, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा ठीक ही मत व्यक्त किया गया है ।

5.5 यह भी दलील दी गई कि अन्यथा भी, इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों के विरुद्ध एकमात्र साक्ष्य इस अपील में अपीलार्थी का कथन है, जो वास्तव में संपूर्ण मामले में एक हितबद्ध साक्षी है । वह स्वयं मूल और पूर्ववर्ती प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अमरजीत सिंह की हत्या करने और मंजीत सिंह को गंभीर रूप से उपहति कारित करने का अभियुक्त था । अत: यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय ने विद्वान्

विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश को यह मत व्यक्त करते हुए ठीक ही अपास्त किया था कि ऐसा कोई नया साक्ष्य नहीं है जो इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों के विरुद्ध सामने आया हो, बल्कि एक विस्तृत जांच की गई थी जिसमें प्रत्यर्थियों की निर्दोषिता की संपुष्टि हुई थी और अपीलार्थी के वृत्तांत को संदेहास्पद पाया गया था । यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय ठीक ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने प्रत्युत्तर देने वाले प्रत्यर्थियों को समन करने में अपनी अधिकारिता का प्रयोग करके गलती की थी । यह भी दलील दी गई कि यहां तक कि अपीलार्थी द्वारा अभि. सा. 7 भूपिन्दर सिंह के साक्ष्य के अवलंब से भी अपीलार्थी का समर्थन नहीं होता है । यह दलील दी गई कि साक्षी भूपिन्दर सिंह की प्रतिपरीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपने परिसाक्ष्य में संपूर्ण कहानी गढ़ी गई थी । यह दलील दी गई कि इससे 2016 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 477 में दर्ज प्रति-मामले में उल्लिखित अभियुक्त के संपूर्ण वृत्तांत के बारे में सारभूत संदेह उत्पन्न होता है ।

5.6 उपरोक्त दलीलें देते हुए, वर्तमान अपीलों को खारिज करने का अनुरोध किया गया ।

6. संबंधित पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को विस्तार से सुना । वर्तमान अपीलों में जिसे चुनौती दी गई है, वह उच्च न्यायालय द्वारा इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों द्वारा फाइल किए गए पुनरीक्षण आवेदनों को मंजूर करके और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्तों को समन करने और विचारण का सामना करने के लिए पारित किए गए आदेश को अभिखंडित और अपास्त करते हुए पारित किया गया आक्षेपित निर्णय और आदेश है ।

6.1 परस्पर विरोधी दलीलों पर विचार करते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 की व्याप्ति और परिधि से संबंधित विधि पर विचार किया जाना आवश्यक है और इसके लिए इस न्यायालय के कुछ विनिश्चयों के प्रतिनिर्देश किया जाना आवश्यक है ।

6.1.1 **हरदीप सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्तियों की व्याप्ति और परिधि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के उद्देश्य और प्रयोजन इत्यादि पर विस्तार से विचार किया था । उक्त विनिश्चय में यह मत व्यक्त किया गया है कि संपूर्ण प्रयास यह है कि अपराध का वास्तविक अपराधी अदंडित न छूट जाए । यह मत व्यक्त किया गया है कि यह ऋजु विचारण का भी एक भाग है और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विधानमंडल ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के उपबंधों को सम्मिलित करने के बारे में सोचा था । यह भी मत व्यक्त किया गया है कि न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने हेतु सशक्त करने के लिए कि दांडिक न्याय प्रशासन उचित रूप से कार्य कर सके, विधानमंडल द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन विधि को यह उपदर्शित करते हुए उचित रूप से संहिताबद्ध और उपांतरित किया गया कि न्यायालयों को अंततोगत्वा कैसे सच्चाई का पता लगाने के लिए अग्रसर होना चाहिए जिससे कि निर्दोष दंडित न हो सके किंतु साथ ही साथ दोषी पर विधि के अधीन कार्यवाही की जा सके । यह भी मत व्यक्त किया है कि न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वास्तविक सच्चाई का पता लगाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि दोषी अदंडित बचकर न निकल सके । इस न्यायालय ने पैरा 8 और 9 में निम्नलिखित मत व्यक्त करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है :–

> "8. भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 के अधीन सांविधानिक आदेश में एक ऋजु और प्रभावकारी विचारण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपबंध करके निर्बाध न्याय प्रशासन के लिए एक संरक्षात्मक कवच का उपबंध किया गया है जिससे कि अपराध के अभियुक्त का विचारण करने के लिए विधि के अधीन कार्यवाही आरंभ करने के पश्चात् उस पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े किंतु साथ ही साथ अपराध के शिकार व्यक्तियों और संपूर्ण समाज को भी यह सुनिश्चित करने के लिए समान संरक्षण दिया गया है कि दोषी विधि के शिकंजे से बचकर न निकल जाए । यह सुनिश्चित करने के लिए कि दांडिक न्याय प्रशासन उचित रूप से कार्य करे, विधानमंडल द्वारा न्यायालयों को सशक्त करने के लिए विधि को

दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन यह उपदर्शित करते हुए समुचित रूप से संहिताबद्ध और उपांतरित किया गया था कि न्यायालयों को अंततोगत्वा कैसे सच्चाई का पता लगाने के लिए अग्रसर होना चाहिए जिससे कि किसी निर्दोष को दंडित न किया जाए किंतु साथ ही साथ दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विधि के अधीन कार्यवाही की जा सके । संविधान और हमारी विधियों के अधीन अतिष्ठित यही वे आदर्श हैं जिनके आधार पर कई ऐसे विनिश्चय किए गए हैं जिनके द्वारा वास्तविक सच्चाई का पता लगाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोषी अदंडित न चला जाए, नवीनतम तरीके और प्रगतिशील साधनों को सृजित किया गया है ।

9. निर्दोषिता की उपधारणा करना देश की साधारण विधि है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के बारे में तब तक निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है जब तक वह दोषी साबित नहीं हो जाता है । अनुकल्पत:, अपराधों के कतिपय प्रवर्ग के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध कतिपय कानूनी उपधारणाएं की गई हैं जिनके द्वारा दोषिता की उपधारणा तब तक विद्यमान रहती है जब तक अभियुक्त स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए विधि के अधीन उस पर अधिरोपित भार का निर्वहन नहीं कर देता है । विधानमंडल द्वारा इन प्रतिस्पर्धी सिद्धांतों को ध्यान में रखा गया था । अत: संपूर्ण प्रयास यह है कि अपराध का वास्तविक अपराधी अदंडित न निकल जाए । यह ऋजु विचारण का भी एक भाग है और हमारी राय में, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विधानमंडल ने दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 319 को सम्मिलित करने की बात सोची थी । इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे रचनात्मक और प्रयोजनात्मक निर्वचन को अपनाया जाना चाहिए, जो न्याय के हित को अग्रसर करता हो और अपराध, जो विचारण की विषयवस्तु है, के कारित करने में किसी व्यक्ति का सह-अपराधी के रूप में न्यायालय के समाधानप्रद विचारण करने के लिए ऊपरवर्णित स्पष्ट उद्देश्य और प्रयोजन को पूरा करने के लिए न्यायालय को शक्तियां प्रदत्त करने वाले कानून के आशय को कम न करता हो ।"

6.1.2 उक्त मामले में इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित पांच प्रश्न विचार के लिए आए थे :–

"(i) वह प्रक्रम क्या है जिस पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है ?

(ii) क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319(1) में प्रयुक्त 'साक्ष्य' शब्द का अर्थ केवल प्रतिपरीक्षा करके परख किया गया साक्ष्य हो सकता है या न्यायालय संबंधित साक्षी की मुख्य परीक्षा में किए गए कथन के आधार पर ही उक्त उपबंध के अधीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है ?

(iii) क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319(1) में प्रयुक्त 'साक्ष्य' शब्द का प्रयोग एक व्यापक अर्थ में किया गया है और इसके अंतर्गत अन्वेषण के दौरान एकत्रित किया गया साक्ष्य भी आता है या 'साक्ष्य' शब्द विचारण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्य तक सीमित है ?

(iv) किसी अभियुक्त को दोषारोपित करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का अवलंब लेने के लिए अपेक्षित समाधान की प्रकृति क्या है ? क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग केवल तब किया जा सकता है यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि समन किए गए अभियुक्त के दोषसिद्ध होने की पूरी संभावना है ?

(v) क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का विस्तार उन व्यक्तियों तक होता है जो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित नहीं हैं या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित तो हैं किंतु आरोपित नहीं किए गए हैं या जिन्हें उन्मोचित कर दिया गया है ?"

6.1.3 पूर्वोक्त प्रश्नों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने **हरदीप सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त करते हुए यह अभिनिर्धारित किया था :–

"12. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 जूडेक्स डेम्नटर कम नोसेन्स एब्सोलविटर (जब दोषी दोषमुक्त हो जाता है तो न्यायाधीश की निंदा होती है) सिद्धांत से निकलती है और इस सिद्धांत को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधिनियमन में अंतर्निहित परिधि और भावना को स्पष्ट करते हुए अवश्य एक प्रकाशस्तंभ के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए ।

13. न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वास्तविक अपराधी को दंडित करके न्याय किया जाए । जहां अन्वेषक अभिकरण किसी भी कारण से किसी वास्तविक अपराधी को अभियुक्त के रूप में सूची में नहीं रखता है, तो न्यायालय उक्त अभियुक्त को विचारण का सामना करने के लिए बुलाने में शक्तिहीन नहीं है । प्रश्न यह है कि न्यायालय को किन परिस्थितियों और किस प्रक्रम पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 में यथा अनुध्यात अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए ?

14. हमारे समक्ष जो दलीलें दी गई हैं वे बहुत ही व्यापक हैं और विद्वान् काउंसेल ने दंड प्रक्रिया संहिता के विभिन्न उपबंधों और उन निर्णयों की ओर हमारा ध्यान दिलाया है जिनका उक्त प्रयोजन के लिए अवलंब लिया गया था । संविवाद उस प्रक्रम के ईर्द-गिर्द केंद्रित है जिस प्रक्रम पर न्यायालय द्वारा ऐसी शक्तियों का अवलंब लिया जा सकता है और वह सामग्री जिसके आधार पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है ।

* * * *

17. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 न्यायालय को ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए अनुज्ञात करती है जो उसके समक्ष मामले में अभियुक्त नहीं है । इस प्रकार, वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध ऐसी शक्तियों का प्रयोग करके समन जारी किए जाते हैं, वह आवश्यक रूप से पहले से विचारण का सामना करने वाला अभियुक्त नहीं होना चाहिए । वह या तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन फाइल किए गए आरोप पत्र के स्तंभ 2 में नामित व्यक्ति हो सकता है या ऐसा व्यक्ति हो सकता

है जिसका नाम न्यायालय के समक्ष किसी सामग्री में प्रकट किया गया हो, जिस पर अपराध का विचारण करने के लिए विचार किया जाना है, किंतु अन्वेषण नहीं किया गया है । वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी अपराध के कारित करने में सहापराधिता उपदर्शित होती हो और संबद्ध हो ।

18. विधानमंडल से सभी परिस्थितियों की उपधारणा करने की कल्पना नहीं की जा सकती है और इसलिए न्यायालय का यह कर्तव्य है कि विधानमंडल द्वारा प्रयुक्त किए गए शब्दों को पूर्ण रूप से प्रभावी किया जाए जिससे कि उसमें ऐसी स्थिति सम्मिलित हो सके जिसका न्यायालय को अपराध का विचारण करने के लिए अग्रसर होते समय सामना करना पड़ सकता है और ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी सहापराधिता की संभाव्यता के बावजूद, जिसका अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है, विचारण में दोषारोपित न किए जाने के कारण बचकर न निकल जाए ।

19. न्यायालय न्याय का एकमात्र खजाना है तथा उस पर विधि-व्यवस्था बनाए रखने का कर्तव्य डाला गया है और इसलिए हमारी दांडिक न्याय व्यवस्था में न्यायालयों के पास ऐसी शक्तियों की विद्यमानता से इनकार करना अनुचित होगा, जहां यह असामान्य बात नहीं है कि बहुत बार वास्तविक अपराधी अन्वेषक अभिकरण और/या अभियोजन अभिकरण के साथ छल-साधन करके निकल जाते हैं । विचारण से बचकर निकलने की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि अभियुक्त कई बार अन्वेषण या जांच के प्रक्रम पर भी स्वयं को निर्दोष साबित करने का प्रयास करता है भले ही वह अपराध के कारित करने से संबद्ध हो ।

* * * *

22. हमारी राय में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 एक सामर्थ्यकारी उपबंध है जिसमें न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भी, जो अभियुक्त नहीं है और उसने विचारणाधीन अपराध कारित किया है, कार्यवाही करने के लिए समुचित उपाय करने हेतु

सशक्त किया गया है । यही वह भाग है जो इस न्यायालय के समक्ष निर्देशाधीन है और इसलिए हमारी राय में, इसमें निर्देशित प्रश्न का उत्तर देते हुए हम ऐसा कोई विरोध नहीं पाते हैं जिससे कि उस स्थिति पर विचार करना पड़े जिस स्थिति पर धर्म पाल **बनाम** हरियाणा राज्य [(2014) 3 एस. सी. सी. 306 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 3018] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा किया गया था ।

* * * *

47. चूंकि आरोप पत्र फाइल करने के पश्चात् न्यायालय जांच के प्रक्रम पर पहुंचता है और जैसे ही न्यायालय आरोप विरचित कर देता है, विचारण प्रारंभ हो जाता है और इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग आरोप पत्र के फाइल हो जाने के पश्चात् और निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय किया जा सकता है, सिवाय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207/208 के सुपुदर्गी आदि के प्रक्रम के दौरान, जो कि केवल एक पूर्व-विचारण का प्रक्रम है जिसका आशय प्रक्रिया को प्रारंभ करना है । इस प्रक्रम को सही अर्थ में एक न्यायिक कदम नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इस प्रक्रम पर मस्तिष्क का न्यायिक रूप से प्रयोग करने की बजाय केवल मस्तिष्क का प्रयोग करने की अपेक्षा की जाती है । इस पूर्व-विचारण के प्रक्रम पर, मजिस्ट्रेट से न्यायिक कार्य करने की बजाय प्रशासनिक प्रकृति के कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, जैसे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207/208 का अनुपालन सुनिश्चित करना और यदि मामला अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो मामले को सुपुर्द करना । इसलिए हमारे लिए यह निष्कर्ष निकालना विधिसम्मत होगा कि मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 से 209 के प्रक्रम पर, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अभिव्यक्त उपबंध द्वारा, मामले के गुणागुण पर अपने मस्तिष्क का प्रयोग करने और यह अवधारण करने के लिए निषिद्ध किया गया है कि क्या किसी अभियुक्त को सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण का सामना करने के लिए जोड़े जाने या हटाए जाने की आवश्यकता है या नहीं ।

* * * *

53. इस प्रकार, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि जब तक मामला न्यायालय द्वारा जांच या विचारण के प्रक्रम पर नहीं पहुंचता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है । वास्तव में, यह प्रतीत होता है कि धर्म पाल **बनाम** हरियाणा राज्य [(2014) 3 एस. सी. सी. 306 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 3018] वाले मामले में इस न्यायालय की संविधान न्यायपीठ द्वारा इस प्रतिपादना में विघ्न नहीं डाला गया था । उस मामले में विवाद का निपटारा उस स्थिति को दृष्टिगत करते हुए किया गया था जिसमें न्यायालय का सरोकार प्रक्रियात्मक विलंब से था और न्यायालय की यह राय थी कि सेशन न्यायालय को उस व्यक्ति को, जो विचारण का सामना नहीं कर रहा है, हाजिर होने और अभियुक्त के रूप में विचारण का सामना करने का निदेश देने के लिए आवश्यक रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 का प्रक्रम आने तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए । हम संविधान न्यायपीठ द्वारा किए गए इस निर्वचन से पूरी तरह सहमत हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 में सेशन न्यायालय को जब एक बार उसे मामला सुपुर्द कर दिया गया है तो अभियुक्त को जोड़ने की मूल अधिकारिता की शक्ति प्रदत्त की गई है ।

54. हमारी राय में, जांच के प्रक्रम पर किसी साक्ष्य का होना इसके विशुद्ध विधिक अर्थ में अनुध्यात नहीं है और न ही विधानमंडल ऐसा अनुध्यात कर सकता था क्योंकि अभी साक्ष्य का प्रक्रम नहीं पहुंचता है । न्यायालय के समक्ष एकमात्र जो सामग्री होती है वह अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्रित की गई सामग्री है और न्यायालय इस प्रक्रम पर प्रथमदृष्ट्या अपने मस्तिष्क का प्रयोग यह पता लगाने के लिए कर सकता है कि क्या अभियोजन पक्ष ने उस व्यक्ति को, जो अभियुक्त हो सकता है, दोषारोपित करने से गलत रूप से छोड़ दिया गया है या जानबूझकर अपवर्जित किया गया है । यह बात यह सुनिश्चित करने के लिए और भी आवश्यक

है कि अन्वेषक अभिकरण और अभियोजन अभिकरण ने उन व्यक्तियों को न्यायालय के समक्ष लाने में ऋजुतापूर्वक कार्य किया हो जो विचारण किए जाने योग्य हैं और ऐसे किसी व्यक्ति को जानबूझकर न बचाया गया हो जिसका विचारण होना ही चाहिए था । यह बात न्यायिक व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक है जिसके द्वारा न्यायालय को जांच के प्रक्रम पर भी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त किया जाना चाहिए और यही कारण है कि विधानमंडल ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 में भानपूर्वक अलग-अलग पद अर्थात् जांच या विचारण का प्रयोग किया था ।

55. तद्नुसार, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग केवल विचारण के अग्रसर होने और साक्ष्य अभिलिखित करने के साथ प्रारंभ होने के पश्चात् कर सकता है और इसमें ऊपर स्पष्ट की गई आपवादिक परिस्थितियों में भी कर सकता है ।

56. उपबंधों का एक अन्य वर्ग और भी है अर्थात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200, 201, 202 इत्यादि जो उस जांच का भाग बनते हैं जो धारा 319 के प्रयोजनों के लिए परिवाद मामलों की दशा में लागू होने के लिए सुसंगत हैं । जैसा कि इसमें विचार-विमर्श किया गया है, साक्ष्य से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया साक्ष्य अभिप्रेत है । परिवाद मामला दांडिक विचारण के एक सुभिन्न प्रवर्ग का मामला होता है जहां न्यायालय के समक्ष साक्ष्य अधिनियम, 1872 (जिसे इसके पश्चात् 'साक्ष्य अधिनियम' कहा गया है) की धारा 3 के विशुद्ध विधिक अर्थ में कुछ-न-कुछ साक्ष्य आता है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के उपबंधों में कोई ऐसा निर्बंधन प्रतीत नहीं होता है जिससे कि उस साक्ष्य को विवर्जित किया जा सके जो परिवाद मामलों में यहां तक कि आरोप विरचित किए जाने या आदेशिका जारी किए जाने से पूर्व न्यायालय के समक्ष आया है । किंतु उस प्रक्रम पर चूंकि न्यायालय के समक्ष कोई अभियुक्त नहीं होता है, इसलिए ऐसे साक्ष्य का प्रयोग केवल

विचारण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्य की संपुष्टि करने या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के प्रयोजन के लिए, यदि ऐसा करना अपेक्षित है, किया जा सकता है । इस धारा के प्रयोजन के लिए जो आवश्यक है वह यह है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध कुछ साक्ष्य प्रतीत होना चाहिए जिसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है और कार्यवाहियों के प्रक्रम की बात असंगत है । जहां कई व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियों में परिवादी चौकन्ना हो, किंतु न्यायालय की यह राय हो कि कुछ अन्य व्यक्तियों की सहापराधिता को भी इंगित करते हुए कुछ साक्ष्य प्रकट होता है, वहां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 ऐसे अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ करने के लिए न्यायालय/मजिस्ट्रेट को समर्थ बनाने वाले एक सशक्तकारी उपबंध के रूप में कार्य करती है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 का प्रयोजन पूर्ण न्याय करना और यह सुनिश्चित करना है कि वे व्यक्ति, जिनका विचारण किया जाना चाहिए था, उनका भी विचारण किया जाए । इसलिए किसी परिवाद मामले में विचारण के प्रक्रम पर जब परिवादी तथा उसके साक्षियों का साक्ष्य अभिलिखित किया जा रहा हो, तब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 की शक्तियों का अवलंब लेने में कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती है ।"

6.1.4 प्रश्न सं. (iii) अर्थात् क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319(1) में प्रयुक्त "साक्ष्य" शब्द एक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया गया है और इसके अंतर्गत अन्वेषण के दौरान एकत्रित किया गया साक्ष्य भी आता है या "साक्ष्य" शब्द विचारण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्य तक सीमित है, का उत्तर देते हुए इस न्यायालय ने पूर्वोक्त विनिश्चय में निम्नलिखित मत व्यक्त करते हुए यह अभिनिर्धारित किया था :–

"58. उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और उस बाधा का निराकरण करने के लिए जिसका विचारण न्यायालयों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामना करना पड़ रहा है, उस विवाद्यक का उन परिस्थितियों का अवलोकर करके अन्वेषण किया जाना चाहिए जिनके कारण

न्यायालय के लिए ऐसी शक्तियों का अवलंब लेने की स्थिति उत्पन्न हुई है । वे परिस्थितियां, जिनके आधार पर किसी व्यक्ति को समन करने के लिए न्यायालय द्वारा ऐसा निष्कर्ष निकाला जा रहा है, उन तथ्यों और सामग्री की उपलब्धता से उद्भूत होता हो, जो न्यायालय के समक्ष आते हैं और उस व्यक्ति को अभिकथित रूप से कारित किए गए अपराध के सहापराधी के रूप में समन करने का आधार बने हैं । सामग्री से व्यक्ति की उस अपराध के कारित करने में सहापराधिता प्रकट होनी चाहिए और यह वह सामग्री होनी चाहिए जो अपराध की जांच या उसके विचारण के दौरान साक्ष्य से प्रतीत होती हो । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 में यथा प्रयुक्त शब्दों 'जहां.....साक्ष्य से यह प्रतीत होता है' से यह उपदर्शित होता है कि न्यायालय के समक्ष सामग्री होनी चाहिए ।

59. इस विवाद्यक का उत्तर देने से पूर्व, हम 'साक्ष्य' शब्द के अर्थ की परीक्ष करेंगे । साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, 'साक्ष्य' शब्द से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं –

> '(1) वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्य के विषयों के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है;
>
> ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं;
>
> (2) न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सभी दस्तावेजें, जिनके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक अभिलेख भी हैं;
>
> ऐसी दस्तावेजें दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं ।'

* * * *

78. अत: यह स्पष्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 में 'साक्ष्य' शब्द से केवल ऐसा साक्ष्य अभिप्रेत है जो कथनों के संबंध में न्यायालय के समक्ष किया जाता है और जो दस्तावेजों के रूप में न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है । यह केवल वह साक्ष्य है जिस पर मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा यह विनिश्चय करने के लिए विचार किया जा सकता है कि क्या दंड प्रक्रिया

संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं, न कि अन्वेषण के दौरान एकत्रित की गई सामग्री के आधार पर ।

* * * *

82. विचारण-पूर्व का यह प्रक्रम वह प्रक्रम है जहां साक्ष्य के आधार पर अपराधों का न्यायनिर्णयन नहीं किया जाता है और इसलिए न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र के साथ-साथ सामग्री लाए जाने के पश्चात् ही आरोप विरचित करने हेतु प्रभावकारी रूप से कार्यवाही करने के लिए इनकी जांच की जा सकती है । आरोप विरचित किए जाने के पश्चात् अभियोजन पक्ष से साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है और ऐसा किए जाने तक साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के विशुद्ध विधिक अर्थ में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है । न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को लाकर अपराध का वास्तविक विचारण अभी आरंभ नहीं होता है । जो सामग्री उपलब्ध होती है वह आरोप पत्र के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई सामग्री होती है । ऐसी स्थिति में, न्यायालय के पास केवल वह प्रारंभिक सामग्री होती है जो आरोप विरचित करके विचारण अग्रसर करने के लिए न्यायालय के समक्ष उसके विचार के लिए प्रस्तुत की गई है ।

83. अत: ऐसी कोई सामग्री नहीं होती है जिसका उपयोग किया जा सके बल्कि वह सामग्री जो न्यायालय के पास अपराध की जांच या विचारण करने के लिए उपलब्ध है, किसी व्यक्ति को समन करने हेतु कारणों के समर्थन के लिए उपयोग कर सकता है और न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के पश्चात् इसका उपयोग किया जा सकता है या न्यायालय के समक्ष पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर, वह उसे अपराध के कारित करने में सहापराधी मानते हुए उपयोग कर सकता है । जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है वह यह है कि वह सामग्री न्यायालय के समक्ष अभिलिखित किया गया सटीक साक्ष्य नहीं होती है अपितु न्यायालय द्वारा एकत्रित की गई सामग्री होती है, जिसका अभियुक्त की अपेक्षा किसी अन्य व्यक्ति

को समन करने के प्रयोजन के लिए पहले ही अभिलिखित किए गए साक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए उपयोग किया जा सकता है । इससे 'साक्ष्य' शब्द के साथ ऐसी सामग्री का उस सामग्री के रूप में सामंजस्य होगा जो उस किसी अन्य सहापराधी का प्रकटीकरण करने के लिए सुकर बनाने हेतु समर्थनकारी प्रकृति की होगी, जिसकी अपराध में सहापराधिता को न्यायालय के ध्यान में लाने के लिए या तो दबा दिया गया है या उसे बचाया गया है ।

84. अत: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन यथा प्रयुक्त 'साक्ष्य' शब्द को विचारण के प्रक्रम और यहां तक कि जांच के प्रक्रम भी, जैसी की पहले चर्चा की गई है, इसके व्यापक अर्थ में समझा जाना चाहिए । अत: यह समझा जाना चाहिए कि न्यायालय को किसी व्यक्ति के विरुद्ध, ऐसी किसी सामग्री के आधार पर जो उसके समक्ष लाई गई है, उसे समन करने के पश्चात् कार्यवाही करने की शक्ति है । विचारण के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् ऐसी सामग्री के आधार पर ऐसी शक्तियों का सतर्कता पूर्वक अवलंब लेने के लिए न्यायालय का कर्तव्य और आबद्धता और अधिक दुर्भर हो जाते हैं ।

85. इसमें ऊपर की गई चर्चा और निकाले गए निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तुत किए गए पूर्वोक्त प्रश्न का उत्तर यह है कि विचारण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्य के अतिरिक्त, अन्य सामग्री जो न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के पश्चात् और विचारण के प्रारंभ होने के पूर्व प्राप्त की गई है, उसका उपयोग केवल संपुष्टि के लिए और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का अवलंब लेने के लिए न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए साक्ष्य का समर्थन करने हेतु किया जा सकता है । इस प्रकार, 'साक्ष्य' शब्द विचारण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्य तक सीमित है ।"

6.1.5 प्रश्न (ii) अर्थात् क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319(1) में प्रयुक्त "साक्ष्य" शब्द से अभिप्रेत मुख्य परीक्षा में उद्भूत होने वाला साक्ष्य है या प्रतिपरीक्षा में उद्भूत होने वाला साक्ष्य भी इसके साथ है, का

उत्तर देते हुए इस न्यायालय ने पूवोक्त विनिश्चय में निम्नलिखित मत व्यक्त करते हुए यह अभिनिर्धारित किया था :–

"86. इसमें निर्देशित दूसरा प्रश्न दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन यथा प्रयुक्त 'साक्ष्य' शब्द के संबंध में है, जिससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन साक्ष्य समझा जा सकने वाला साक्ष्य साक्षियों के वे कथन हैं जो विचारण के दौरान अभिलिखित किए जाते हैं और दस्तावेजी साक्ष्य वे हैं जो साक्ष्य अधिनियम के अनुसार हों, जिनके अंतर्गत साक्ष्य अधिनियम में दिए गए दस्तावेजी और सामग्री संबंधी साक्ष्य भी हैं । ऐसा साक्ष्य अभियोजन पक्ष के साक्षियों के कथन से आरंभ होता है, इसलिए यह ऐसा साक्ष्य होता है जिसमें मुख्य परीक्षा के दौरान किए गए कथन भी सम्मिलित होते हैं । राकेश वाले मामले में [(2001) 6 एस. सी. सी. 248 = 2001 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1090 = ए. आई. आर. एस. सी. 2521] यह अभिनिर्धारित किया गया था कि –

'10. .....यह सही है कि अंततः विचारण के समय पर अभियुक्त को साक्षी की सत्यता की जांच करने के लिए उसकी प्रतिपरीक्षा करने का अवसर दिया जाना चाहिए । किंतु यह प्रक्रम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करते समय उद्भूत नहीं होगा । जब एक बार अभिसाक्ष्य अभिलिखित कर लिया जाता है, निस्संदेह प्रतिपरीक्षा न होने के कारण यह एक प्रथमदृष्ट्या सामग्री होगी जिससे सेशन न्यायालय यह विनिश्चय करने के लिए समर्थ होगा कि क्या धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं ।'

87. रंजीत सिंह **बनाम** पंजाब राज्य [(1998) 7 एस. सी. सी. 149 = 1998 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1554 = ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 3148] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि –

'20. ..... न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उक्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए संपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए जाने तक प्रतीक्षा करे ।'

88. मोहम्मद शफी **बनाम** रफ़ीक [(2007) 14 एस. सी. सी. 544 = (2009) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 889 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 1899] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो अभियुक्त नहीं है किंतु जिसके विरुद्ध साक्ष्य प्रकट होता है, कार्यवाही करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग करने हेतु पूर्व-शर्त न्यायालय का समाधान है, जिसके लिए न्यायालय प्रतिपरीक्षा समाप्त हो जाने तक भी प्रतीक्षा कर सकता है और ऐसा करने में कोई अवैधता नहीं होगी । इसी प्रकार का दृष्टिकोण हरभजन सिंह **बनाम** पंजाब राज्य [(2009) 13 एस. सी. सी. 608 = (2010)1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1135] वाले मामले में दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा अपनाया गया था । हरदीप सिंह **बनाम** पंजाब राज्य [(2009) 16 एस. सी. सी. 785 = (2010) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 335] वाले मामले में इस न्यायालय ने मोहम्मद शफी **बनाम** रफ़ीक [(2007) 14 एस. सी. सी. 544 = (2009) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 889 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 1899] वाले मामले में के निर्णय का गलत अनुशीलन किया गया प्रतीत होता है, चूंकि न्यायालय ने यह अर्थान्वयन किया था कि उक्त निर्णय में यह अधिकथित किया गया है कि न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए आवश्यक रूप से साक्षी की प्रतिपरीक्षा किए जाने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए और साक्ष्य का पूर्ण मूल्यांकन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन कार्यवाही करने की आवश्यकता है या नहीं ।

89. हमने पूर्व उल्लिखित मामलों में अभिव्यक्त विविध दृष्टिकोणों पर गहराई से विचार किया है । जब एक बार मुख्य परीक्षा की जाती है, तो कथन अभिलेख का भाग बन जाता है । यह विधि के अनुसार और सही मायने में साक्ष्य होता है, क्योंकि

अधिक से अधिक, यह खंडनीय हो सकता है । किसी साक्ष्य का खंडन करने या विवादग्रस्त करने के कारण वह साक्ष्य विचारणीय, सुसंगतता और विश्वास का विषय बन जाता है, जो कि न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाए जाने का प्रक्रम होता है । फिर भी यह ऐसा साक्ष्य और ऐसी सामग्री है जिसके आधार पर न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति की सहापराधिता के बारे में प्रथमदृष्ट्या राय बना सकता है, जो उस अपराध से संबंद्ध हो सकता है ।

90. जैसा कि मोहम्मद शफी **बनाम** रफ़ीक [(2007) 14 एस. सी. सी. 544 = (2009) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 889 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 1899] और हरभजन सिंह **बनाम** पंजाब राज्य [(2009) 13 एस. सी. सी. 608 = (2010)1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1135] वाले मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए जो अपेक्षित है, वह यह है कि न्यायालय को अवश्य यह प्रतीत होना चाहिए कि कोई अन्य व्यक्ति भी अपराध में अंतर्ग्रस्त हो सकता है जो विचारण का सामना नहीं कर रहा है । इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए पूर्व-शर्त उस प्रथमदृष्ट्या मत के समान है जो मजिस्ट्रेट के लिए अपराध का संज्ञान करने के लिए अपनाया जाना आवश्यक है । अत: ऐसी राय बनाने के लिए पूर्ववर्ती शर्तों के संबंध में कोई नियमनिष्ठ सिद्धांत अधिकथित नहीं किया जा सकता है और न ही होना चाहिए और यदि मजिस्ट्रेट/न्यायालय मुख्य परीक्षा में प्रकट होने वाले साक्ष्य के आधार पर ही आश्वस्त हो जाता है, तो वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे अन्य व्यक्ति(व्यक्तियों) के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है । यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस धारा में 'ऐसे व्यक्ति का विचारण किया जाना चाहिए' के बजाय 'ऐसे व्यक्ति का विचारण किया जा सकता है' शब्दों का भी प्रयोग किया गया है । इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रक्रम पर परीक्षा और प्रतिपरीक्षा करके एक लघु विचारण किया जाए और उसके पश्चात् उस व्यक्ति, जिसे जोड़ा जाना ईप्सित है, के स्पष्ट कृत्य के आधार पर एक

विनिश्चय किया जाए । वास्तव में, इस लघु विचारण से अभियुक्त के रूप में दोषारोपित किए जाने वाले व्यक्ति का अधिकार प्रभावित होगा, इसके बजाय कतई कोई प्रतिपरीक्षा न की जाए क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 की उप धारा (4) को ध्यान में रखते हुए वह व्यक्ति एक नए सिरे से विचारण का हकदार होगा जहां उसे अभियोजन पक्ष के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने, प्रतिरक्षा साक्षियों की परीक्षा कराने और उनके आधार पर अपनी दलीलें देने सहित सभी अधिकार होंगे । अत: न्यायालय या मजिस्ट्रेट मुख्य परीक्षा के आधार पर भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है जैसे ही न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रकट होने वाला साक्ष्य ऐसा है कि इसके आधार पर उस व्यक्ति को प्रथमदृष्ट्या विचारण का सामना करने के लिए लाया जाना आवश्यक है । वास्तव में, मुख्य परीक्षा जिसकी प्रतिपरीक्षा करके परख न की गई हो, निस्संदेह स्वयमेव एक साक्ष्य होता है ।

91. इसके अतिरिक्त, हमारी राय में, साक्षी की प्रतिपरीक्षा पूर्ण होने तक प्रतीक्षा करने के पीछे कोई तर्कसंगत बात प्रतीत नहीं होती है । यह ध्यान में रखना चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग करने के समय पर अभियुक्त के रूप में दोषारोपित करने के लिए ईप्सित व्यक्ति किसी प्रकार से विचारण में भाग नहीं ले रहा होता है । यदि प्रतिपरीक्षा को विचार में लिया जाना है, तो अभियुक्त के रूप में दोषारोपित करने के लिए ईप्सित व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आदेश पारित करने से पूर्व साक्षी(साक्षियों) की प्रतिपरीक्षा नहीं कर सकता है, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा ऐसी कोई प्रक्रिया अनुध्यात नहीं की गई है । दूसरी बात, राज्य निरपवाद रूप से और अधिक व्यक्तियों को अभियुक्तों के रूप में नामित करने का विरोध या अभ्यापत्ति नहीं करेगा क्योंकि वह तो तब तक साक्ष्य की श्रृंखला को पूरा करने के लिए अभियोजन पक्ष की सहायता ही करेगा जब तक साक्षी(साक्षियों) द्वारा पहले ही विचारण का सामना कर रहे व्यक्तियों की भूमिका को मिटाया जा

रहा हो । इतना ही नहीं, दंड प्रक्रिया की धारा 299 में इसमें वर्णित परिस्थितियों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में न्यायालय को साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए समर्थ बनाया गया है ।

92. इस प्रकार, उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग मुख्य परीक्षा के पूर्ण होने के प्रक्रम पर किया जा सकता है और न्यायालय को उक्त साक्ष्य की परख प्रतिपरीक्षा में होने तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह न्यायालय के समाधान पर निर्भर करता है जिसका निष्कर्ष अपराध में विचारण का सामना न कर रहे किसी अन्य व्यक्ति(व्यक्तियों) की सहापराधिता के संबंध में उसके द्वारा अभिलिखित किए कारणों से निकाला जा सकता है ।"

6.1.6 प्रश्न सं. (iv) अर्थात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का अवलंब लेने के लिए अपेक्षित समाधान की मात्रा क्या है, का उत्तर देते हुए इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर विभिन्न पूर्ववर्ती विनिश्चयों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित मत व्यक्त करते हुए यह अभिनिर्धारित किया था :–

"105. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति एक वैवेकिक और असाधारण शक्ति है । इसका प्रयोग यदा-कदा और केवल उन मामलों में करना चाहिए जहां मामले की परिस्थितियों में ऐसा करने की आवश्यकता हो । इसका प्रयोग केवल इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायाधीश की यह राय है कि कुछ अन्य व्यक्ति भी उस अपराध के कारित करने के दोषी हो सकते हैं । केवल वहां इस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए जहां न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रबल और तर्कपूर्ण साक्ष्य प्रकट होता है, न कि नैमितिक रूप से और लापरवाही से करना चाहिए ।

106. इस प्रकार, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि यद्यपि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से केवल एक प्रथमदृष्ट्या मामला सिद्ध होना चाहिए, जिसको प्रतिपरीक्षा की

कसौटी पर परखना आवश्यक नहीं है, तो भी इसके लिए उस व्यक्ति की सहापराधिता की मात्र अधिसंभाव्यता की अपेक्षा अधिक मजबूत साक्ष्य का होना अपेक्षित है । जिस कसौटी को लागू किया जाना चाहिए, वह उस प्रथमदृष्ट्या मामले की अपेक्षा अधिक हो जिसका प्रयोग आरोप विरचित करते समय किया जाता है, किंतु साक्ष्य के समाधान की उस सीमा से कम हो कि यदि साक्ष्य का खंडन नहीं किया जाता है तो उसके आधार पर दोषसिद्ध हो जाएगी । ऐसे समाधान के अभाव में, न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग करने से प्रविरत रहना चाहिए । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 में यदि 'साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है' का उपबंध करने का प्रयोजन 'जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है' शब्दों से स्पष्ट होता है । प्रयुक्त किए गए शब्द यह नहीं हैं कि 'जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को दोषसिद्ध किया जा सकता है' । अत: न्यायालय के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन कार्यवाही करते हुए अभियुक्त की दोषिता के बारे में कोई राय बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है ।"

6.1.7 प्रश्न सं. (v) अर्थात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जा सकता है– प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित तो है किंतु आरोप पत्रित नहीं किया गया है या उन्मोचित कर दिया गया है, का उत्तर देते हुए इस न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त करते हुए यह अभिनिर्धारित किया था :–

"112. तथापि, ऐसे व्यक्ति के विषय में बहुत फर्क है जिसे उन्मोचित कर दिया गया है । ऐसा व्यक्ति जिसे उन्मोचित कर दिया गया है, उस व्यक्ति की बनिस्वत एक भिन्न स्थिति में होता है जिसका कभी अन्वेषण ही नहीं किया गया था या अन्वेषण तो किया गया था किंतु आरोप-पत्रित नहीं किया गया था । ऐसा व्यक्ति न्यायालय के समक्ष जांच के प्रक्रम पर होता है और अन्वेषण के दौरान एकत्रित की गई सामग्री की न्यायिक रूप से परीक्षा करने के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा हो कि

ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए एक प्रथमदृष्ट्या मामला भी नहीं बनता है । साधारणतया, विचारण में साक्ष्य का प्रक्रम अन्वेषण के दौरान एकत्रित की गई सामग्री को मात्र साबित करने का होता है और इसलिए उन्मोचित किए गए व्यक्ति के विरुद्ध विद्यमान सामग्री के संबंध में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है । अत: ऐसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए अवश्य बाध्यकारी परिस्थितियां विद्यमान होनी चाहिएं । न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि साक्षी जब इस प्रकार उन्मोचित किए गए व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य दे रहा होता है, वह ऐसा केवल प्रतिशोध लेने के लिए या किसी की प्रेरणा पर उसको नामित करने के लिए या ऐसी अन्य बाह्य बातों से न कर रहा हो । न्यायालय को ऐसे साक्ष्य की विवेचना करने में सतर्क रहना चाहिए और सत्यता का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए । यदि साक्ष्य की ऐसी सावधानी से परीक्षा करने के पश्चात् न्यायालय की यह राय है कि उन्मोचित किए गए व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए साक्ष्य विद्यमान है, तो वह कार्यवाही कर सकता है किंतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के उपबंध का सीधे तौर पर आश्रय लिए बिना केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 398 के अनुसार कार्यवाही कर सकेगा ।

* * * *

116. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है जिसका अन्वेषण नहीं किया गया है, या जिस व्यक्ति का नाम आरोप पत्र के स्तंभ 2 में है और उसके विरुद्ध संज्ञान नहीं लिया गया था, या ऐसा व्यक्ति जिसे उन्मोचित कर दिया गया है । तथापि, ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसे उन्मोचित कर दिया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 398 के साथ पठित धारा 300(5) के उपबंधों का आश्रय लिए बिना सीधे तौर पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की जा सकती है ।"

6.2 **हरदीप सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि और इसमें ऊपर उद्धृत मताभिव्यक्तियों और निर्दिष्ट किए गए निष्कर्षों पर विचार करते हुए यह प्रकट होता है कि (i) न्यायालय संबंधित साक्षी की मुख्य परीक्षा में किए गए कथन के आधार पर भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है और न्यायालय को ऐसे साक्षी की प्रतिपरीक्षा तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है तथा न्यायालय को उन अभियुक्तों के विरुद्ध, जिन्हें समन किया जाना प्रस्थापित है, प्रतिपरीक्षा द्वारा परख किए गए साक्ष्य तक प्रतीक्षा किए जाने की आवश्यकता नहीं है ; और (ii) प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति को, जो यद्यपि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित तो है किंतु आरोप पत्रित नहीं किया गया है या ऐसा व्यक्ति जिसे उन्मोचित कर दिया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन समन किया जा सकता है, बशर्ते साक्ष्य से (यह संबंधित साक्षी की मुख्य परीक्षा में किए गए कथन के आधार पर एकत्रित किए गए साक्ष्य के रूप में हो सकता है), यह प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्ति का पहले ही विचारण का सामना कर रहे अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है ।

6.3 **एस. मोहम्मद इस्पाहनी** बनाम **योगेन्द्र चंडक**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त करते हुए यह अभिनिर्धारित किया था :–

> "35. इस बात को रेखांकित किए जाने की आवश्यकता है कि जब शिकायतकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित किया गया है, किंतु पुलिस अन्वेषण के पश्चात् उस विशिष्ट व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं पाती है और उसे आलिप्त किए बिना आरोप पत्र फाइल करती है, तो न्यायालय शक्तिहीन नहीं है और समन करने के प्रक्रम पर यदि विचारण न्यायालय यह पाता है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में समन किया जाना चाहिए, भले ही आरोप पत्र में नामित नहीं है, तो भी वह ऐसा कर सकता है । उस प्रक्रम पर, शिकायतकर्ता को भी

---

[1] (2017) 16 एस. सी. सी. 226.

विचारण न्यायालय से उन अन्य व्यक्तियों को भी समन करने हेतु आग्रह करने के लिए अभ्यापत्ति आवेदन फाइल करने का अवसर दिया जाता है, जिन्हें प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित किया गया था किंतु आरोप पत्र में आलिप्त नहीं किया गया था । जब एक बार वह प्रक्रम चला जाता है, न्यायालय फिर भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के फलस्वरूप शक्तिहीन नहीं है । तथापि, यह धारा तब प्रवर्तित होती है जब विचारण के दौरान प्रस्थापित अभियुक्तों के विरुद्ध कोई साक्ष्य प्रकट होता है ।"

6.4 **राजेश** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने इसमें ऊपर निर्दिष्ट **हरदीप सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई मताभिव्यक्तियों पर विचार करने के पश्चात् यह भी मत व्यक्त किया था और अभिनिर्धारित किया था कि ऐसे मामले में भी, जहां शिकायतकर्ता को उन अन्य व्यक्तियों को समन करने के लिए विचारण न्यायालय से आग्रह करते हुए अभ्यापत्ति आवेदन फाइल करने का अवसर देने का प्रक्रम चला गया है, जिन्हें प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित तो किया गया था किंतु आरोप पत्र में नामित नहीं किया गया था, उस मामले में भी न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के फलस्वरूप अभी भी शक्तिहीन नहीं है और उन व्यक्तियों को भी जिन्हें प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में तो नामित किया गया था किंतु आरोप पत्र में आलिप्त नहीं किया गया था, विचारण का सामना करने के लिए समन कर सकता है बशर्ते विचारण के दौरान उन प्रस्थापित अभियुक्तों के विरुद्ध कोई साक्ष्य प्रकट होता हो ।

7. प्रस्तुत अभियुक्तों के मामले को पूर्वोक्त विनिश्चयों में इस न्यायालय द्वारा अधिकथित की गई विधि को लागू करते हुए, हमारी यह राय है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी-क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य के आधार पर इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों को अभियुक्त के रूप में विचारण का सामना करने के लिए समन करके न्यायोचित किया था । जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है, अभियुक्त को साक्षी

---

[1] (2019) 6 एस. सी. सी. 368.

की मुख्य परीक्षा के आधार पर ही समन किया जा सकता है और न्यायालय को उसकी प्रतिपरीक्षा तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है । यदि साक्षी की मुख्य परीक्षा के आधार पर न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रस्थापित अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है, तो न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में सूचीबद्ध कर सकता है और उसे विचारण का सामना करने के लिए समन कर सकता है । इस प्रक्रम पर, यह उल्लेख किया जाना अपेक्षित है कि आरंभ से ही इस अपील में अपीलार्थी-क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, जो प्रथम इत्तिलाकर्ता है, ने इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों के नामों का प्रकटीकरण किया था और उन्हें विनिर्दिष्ट रूप से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित किया था । पुलिस उप अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट का साक्ष्यिक महत्व क्या होगा, यह एक अन्य प्रश्न है । ऐसा नहीं है कि अन्वेषक अधिकारी ने प्राइवेट प्रत्यर्थियों के विरुद्ध मामला नहीं पाया था और इसलिए उन्हें आरोप पत्रित नहीं किया गया था । जो भी स्थिति हो, अपीलार्थी-क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने मुख्य परीक्षा में प्राइवेट प्रत्यर्थियों के नामों को प्रकट किया था । यह हो सकता है कि जो कुछ मुख्य परीक्षा में कहा गया है वही प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में कहा गया हो । वही बात प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में होना आबद्ध है और अंततोगत्वा अपीलार्थी-क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी प्रथम इत्तिलाकर्ता है और वह पुन: वही कथन करने के लिए आबद्ध है जो कथन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किया गया था, अन्यथा वह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और न्यायालय के समक्ष किए गए कथन में विरोधाभासों का अभियुक्त हो जाएगा । अत: विद्वान् विचारण न्यायालय ने इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों को विचारण का सामना करने के लिए उनके विरुद्ध समन जारी करने का निदेश देकर न्यायोचित किया था ।

8. अब, जहां तक उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश का संबंध है, यह प्रतीत होता है कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश को अभिखंडित और अपास्त करते हुए उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित बातों पर विचार किया था/मत व्यक्त किया था :–

"सरताज सिंह के कथन के सिवाय कोई साक्ष्य नहीं है, जिसके बारे में संबंधित पुलिस उप अधीक्षक द्वारा पहले ही अन्वेषण किया गया था, जिसका अवलंब विचारण न्यायालय द्वारा समन करने के लिए लिया गया था, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं था ।

सरताज सिंह के कथन के अनुसार, पलविन्दर सिंह और सत्कार सिंह ने उसके सिर पर लाठी से प्रहार किए थे । मंजीत सिंह, अमरजीत सिंह, रजवंत सिंह, नरवैर सिंह और सुखदेव सिंह गंडासी लिए हुए थे । मंजीत सिंह, अमरजीत सिंह और रजवंत सिंह ने गंडासी से उसके सिर और चेहरे पर प्रहार किए थे । सभी क्षतियां कथित रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 323, 324, 326 और 341 के अधीन अपराध के अधीन आती हैं । यदि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बहुत सारे लोग सिर पर गंडासी और लाठियों से प्रहार कर रहे थे, तो सरताज सिंह को और अधिक क्षतियां पहुंचना लाजिमी था और जिनके कारण वह जीवित नहीं बच सकता था और अधिसंभाव्यत: वह घटनास्थल पर ही मारा जाता । यह प्रतीत होता है कि उसे केवल वह क्षतियां पहुंची थीं जिनसे भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 323, 324, 326, 341 के अधीन अपराध बनता है । अत: विचारण न्यायालय ने अन्य अभियुक्तों को समन करके अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में गलती की थी जहां कि दोनों पक्षों की ओर से बढ़ा-चढ़ा कर की गई बातें और निहितार्थ हैं ।"

8.1 उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए पूर्वोक्त कारण विधि की दृष्टि से और तथ्यों के आधार पर असंधार्य हैं । इस प्रक्रम पर, उच्च न्यायालय को क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के अभिसाक्ष्य का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए था और इस प्रक्रम पर जिस बात पर विचार किया जाना अपेक्षित था वह यह था कि क्या कोई प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है, न कि क्या ऐसी सामग्री के आधार पर प्रस्थापित अभियुक्तों को दोषसिद्ध किए जाने की संभावना है या नहीं और/या क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी

साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में जो कुछ कहा गया है वह बढ़ा-चढ़ा कर कहा गया है या नहीं । पूर्वोक्त पहलुओं पर विचारण के दौरान और अभिलेख पर के संपूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय विचार किया जाना चाहिए । अत: उच्च न्यायालय ने इसमें ऊपर उल्लिखित कारणों के आधार पर विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्तों को विचारण का सामना करने के लिए समन करते हुए पारित किए गए आदेश को अभिखंडित और अपास्त करके तात्विक रूप से गलती की थी । यहां तक कि इसमें ऊपर निर्दिष्ट उच्च न्यायालय द्वारा की गई मताभिव्यक्तियां अधिसंभाव्यता के आधार पर की गई हैं । इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया आक्षेपित निर्णय और आदेश विधि की दृष्टि से और तथ्यों के आधार पर संधार्य नहीं है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 की व्याप्ति और परिधि से परे है ।

8.2 उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों से ये अपीलें सफल होती हैं । उच्च न्यायालय द्वारा 2018 के दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 3238 और 2018 के दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 55631 में तारीख 28 अगस्त, 2020 को पारित किया गया आक्षेपित निर्णय और आदेश तद्द्वारा अभिखंडित और अपास्त किया जाता है तथा विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थियों को विचारण का सामना करने के लिए पारित किए गए आदेश को तद्द्वारा प्रत्यावर्तित किया जाता है । अब इस अपील में के प्राइवेट प्रत्यर्थी विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा समन किए गए अनुसार विचारण का सामना करेंगे । तद्नुसार ये अपीलें मंजूर की जाती हैं ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

जस.